उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 03.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

नवागत पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 03.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा देर रात्रि सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत थाना कुलपहाड़ का औचक निरीक्षण-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा देर रात्रि सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत थाना कुलपहाड़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, अपराध नियंत्रण की रणनीति एवं प्रभावी पुलिसिंग व्यवस्था के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित विवेचनाओं, वारंटों की तामील, अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई तथा हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने लंबित वारंटों की शीघ्र तामील एवं वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने थाना परिसर का सघन भ्रमण कर साफ-सफाई व्यवस्था, मालखाना, हवालात, बैरक एवं कार्यालय कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, रजिस्टरों की नियमित प्रविष्टियों एवं महत्वपूर्ण अभिलेखों के अद्यावधिक रखे जाने की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। साथ ही थाना परिसर एवं क्षेत्र में खड़े लावारिस/जब्त वाहनों के शीघ्र विधिक निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अभिलेखों को व्यवस्थित, स्पष्ट एवं समयानुसार अपडेट रखा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या विधिक प्रक्रिया में असुविधा न हो।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी एवं सघन बनाने, संवेदनशील स्थानों पर नियमित चेकिंग करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संभ्रांत व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने, तथा संभावित विवादों को समय रहते सुलझाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर सतत निगरानी बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जिससे जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ वातावरण बना रहे।

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा महिला की हत्या के मामले में 10 हजार रुपये के इनामिया आरोपी अभियुक्त को मय आलाकत्ल के साथ किया गिरफ्तार।

दिनांक 23.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पर एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें बिलवई निवासी एक महिला की मृत्यु के संबंध में परिजनों द्वारा सर्पदंश की आशंका व्यक्त की गई थी। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर पंचायतनामा की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान महिला के शरीर से ब्लीडिंग पाई गई, जिससे सर्पदंश संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें महिला की मृत्यु गन शॉट इंजरी के कारण होना प्रकाश में आया।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 120/2026 धारा 103(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.04.2026 को गठित पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ₹10,000 के इनामिया घोषित वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ भूपेन्द्र रैकवार पुत्र जगदीश रैकवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी अमरगंज कस्बा थाना चरखारी जनपद महोबा को करिया पठवा के पास थाना कोतवाली नगर महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोलू उर्फ भूपेन्द्र रैकवार पुत्र जगदीश रैकवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु0 अमरगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 दिनेश तिवारी
3. हे0कां0 सूरज कुमार
4. कां0 अभिषेक पटेरिया